डॉ० भीमराव आंबेडकरे विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/377/2025 दिनांक : 19/09/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः–विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विनियामक निकायों से मान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1529/सत्तर–1–2025 दिनांक 05 सितम्बर, 2025 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उक्त के अतिरिक्त, महाविद्यालयों में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित विनियामक निकायों (BCI, AICTE, NCTE Etc.) से मान्यता प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं कि सभी महाविद्यालय अपने यहाँ संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित विनियामक निकाय से मान्यता प्राप्त कर चुके हों। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा बिना विनियामक निकाय से मान्यता प्राप्त किये पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हों, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर समिति का गठन किया गया है।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ समस्त महाविद्यालय इस आशय का शपथ पत्र गठित समिति के समक्ष उपलब्ध करायेगे कि विधि, बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0 एवं बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि संचालित पाठ्यक्रम सम्बन्धित विनियामक निकायों से मान्यता प्राप्त हैं।

भवदीय,
19/09/2025
(राकेश मिश्रा)
उप–कुलसचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधीक्षक–कुलसचिव कार्यालय।
3. अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

(राकेश मिश्रा)
उप–कुलसचिव

Affisvlett

संख्याः–1529 / सत्तर–1–2025–

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Registrar

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ :: दिनांकः 05 सितम्बर, 2025

विषयः–प्रदेश में स्थित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यकमों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियामक निकायों से महाविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थित महाविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यकम के सम्बन्ध में बार काउंसिल आफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालयों में ऐसे अनके पाठ्यकम संचालित है जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियामक निकायों से भी मान्यता प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रदेश स्थिति सभी महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमाक निकायों से महाविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कर ली गयी है। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा बिना विनियमाक निकायों से मान्यता प्राप्त किये पाठ्यकम संचालित किये जा रहें है तो अग्रतर कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Girijesh Kumar Tyagi
Date: 05-09-2025
19:32:46

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव